बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं0सं0–पि0व0 / यो0–116–02 / 2015–

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र,
पटना, भागलपुर, दरभंगा, सारण, भोजपुर, गया एवं मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने हेतु एक–एक प्राक् परीक्षा केन्द्र पटना विश्वविद्यालय, पटना, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बाबासाहब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा एवं वीरकुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के निम्न अवयव होंगे :–

1. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को यू0पी0एस0सी0 / बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करायी जाएगी।
2. प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर 60–60 विद्यार्थियों (आवश्यकतानुसार सीटों में 15% की वृद्धि की जा सकती है) का दो बैच (प्रशिक्षण अवधि 6–6 माह) संचालित करायी जाएगी।
3. प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में यह प्रशिक्षण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राक् परीक्षा केन्द्र परिसर में ही अलग एवं स्वतंत्र रूप से संचालित किया जायेगा एवं सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रशिक्षण केन्द्र में कोई अन्य कार्यक्रम संबद्ध नही हो।
5. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में इन केन्द्रों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्या–30, दिनांक–28.08.2015 द्वारा रू0 2,20,40,800 / – (रूपये दो करोड़ बीस लाख चालीस हजार आठ सौ) की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। (प्रति संलग्न)

6. यू0पी0एस0सी0 / बी0पी0एस0सी0 (सिविल सेवा) मुख्य परीक्षा में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिए पात्र छात्र / छात्राओं के चयन हेतु विज्ञापन एवं दिशा–निर्देश प्रकाशित की जा रही है, जिसकी प्रतियाँ संलग्न है। वर्तमान में भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग का प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नही है। अतः मधेपुरा में विभाग द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्र के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किया जा रहा है।

7. उक्त केन्द्रों के संचालन हेतु बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

अनुरोध है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं की गयी कार्रवाई से विभाग को अविलम्ब अवगत कराया जाय।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, के दूरभाष संख्या–0612–2230063 / मोबाईल नं0–8877794550 से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / यो0–116–02 / 2015– 2100 पटना, दिनांक– 31-08-2015

प्रतिलिपि–सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव / संबंधित उप विकास आयुक्त / संबंधित उप निदेशक कल्याण एवं संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।